295 7 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी डीपीई दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए अंशदान

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किए गए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी डीपीई दिशा निर्देशों का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि:

i) स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष तथा गंगा नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष के लिए अंशदान को भी सीएसआर के अंतर्गत व्यय माना जाएगा।

ii) जहाँ तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए अंशदान का संबंध है, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 और 19 सितम्बर, 2014 के डीपीई का.ज्ञा.सं.15 (9)/2013–डीपीई (जीएम) के अंतर्गत जारी की गई परामर्शी अब भी लागू हैं। यह दोहराया जाता है कि पीएमएनआरएफ पीएसयू के बजटीय संसाधन, लाभ अथवा तुलन–पत्रों से अंशदान को स्वीकार नहीं करता है। पीएमएनआरएफ केवल वैयक्तिक और संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान को स्वीकार करता है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसे अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसयू के मुख्य कार्यपालकों के ध्यान में लाएं।

प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली–110001

विषयः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए अंशदान।

जम्मू और कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ के पश्चात् प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए अंशदान करने हेतु अपील की थी।

2. अपील के पश्चात् निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) कोष के लिए दान करना शुरू कर दिया है। पीएसयू की भावना सराहनीय है तथापि यह सूचित किया जाता है कि पीएमएनआरएफ केवल वैयक्तिक और संस्थानों का स्वैच्छिक अंशदान स्वीकार करता है। पीएसयू के बजटीय संसाधन, लाभ अथवा तुलन पत्रों से अंशदान को स्वीकार नहीं किया जाता है। पीएसयू कर्मचारियों और अन्य का स्वैच्छिक अंशदान एकत्र और जमा करा सकते हैं।

3. अनुरोध है कि मंत्रालय तदनुसार संबंधित पीएसयू को सलाह दे।

[डीपीई का. ज्ञा. **सं.15 (13)/2013–डीपीई (जीएम), दिनांक 20 नवम्बर, 2014]**

*****